



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय  
MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई  
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI



नं 22-22011/1/2020-कार्मिक-नौमनि

दिनांक-08.12.2023

कार्यालय आदेश 99/2023

ग्रुप- 'सी' कर्मचारियों का स्थानांतरण एवं तैनाती अंगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से जारी किया जाता है।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पदनाम	पिछला तैनाती	वर्तमान तैनाती
1.	श्री दीपक कुमार, उच्च श्रेणी लिपिक	कार्मिक अनुभाग	दिनांक 31.12.2023 तक वित्त एवं लेखा अनुभाग का अतिरिक्त कार्य प्रभार।
2.	श्री संदीप मन्ना, निम्न श्रेणी लिपिक	नई भर्ती	कार्मिक अनुभाग
3.	श्री हर्षद गुप्ता, निम्न श्रेणी लिपिक	नई भर्ती	ई-गवर्नेंस
4.	श्री अविनाश कुमार मीणा, निम्न श्रेणी लिपिक	नई भर्ती	प्रशिक्षण अनुभाग
5.	श्री सुनील एस दसके, एमटीएस	समन्वय अनुभाग	वित्त एवं लेखा अनुभाग
6.	श्री अरविंद एस लोंदे, एमटीएस	वित्त एवं लेखा अनुभाग	कार्मिक अनुभाग (पूर्वाह्न) और समन्वय अनुभाग (अपराह्न)
7.	श्री मंगेश मधुकर सरक, एमटीएस	नई भर्ती	कार्मिक अनुभाग
8.	सुश्री नमिताश्री एम., निम्न श्रेणी लिपिक	कार्मिक अनुभाग	ई-गवर्नेंस

(डॉ. सुधीर एस कोहकडे)

उप नौवहन महानिदेशक (कार्मिक)

सेवा में

- श्री दीपक कुमार, उच्च श्रेणी लिपिक, नौमनि, मुंबई
- श्री संदीप मन्ना, निम्न श्रेणी लिपिक, नौमनि, मुंबई
- श्री हर्षद गुप्ता, निम्न श्रेणी लिपिक, नौमनि, मुंबई
- श्री अविनाश कुमार मीणा, निम्न श्रेणी लिपिक, नौमनि, मुंबई
- श्री सुनील एस दसके, एमटीएस, नौमनि, मुंबई

9वीं मंजिल, बीटा बिल्डिंग, आई थिंक टेक्नो कैम्पस, कांजुर गाँव रोड, कांजुरमार्ग (पूर्व) मुंबई- 400042

9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042

फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फ़ैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वेबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in

6. श्री अरविंद एस लोंदे, एमटीएस, नौमनि, मुंबई
7. श्री मंगेश मधुकर सरक, एमटीएस, नौमनि, मुंबई
8. सुश्री नमिताश्री एम., निम्न श्रेणी लिपिक, नौमनि, मुंबई

प्रतिलिपि-

1. नौमनि, मुंबई के सभी अधिकारियों को।
2. नौमनि, मुंबई के सभी अनुभागों को।
3. कार्यालय आदेश फ़ाइल।
4. गार्ड फ़ाइल।

(अस्वीकरण- हिंदी या अंग्रेजी पाठ में असमानता होने या कानूनी विवाद की स्थिति में मूल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।)